

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर
 भगवानसहाय बनाम
 प्रार्थना पत्र संख्या 55/2022

माधाराम वर्गैर

दिनांक आज
 या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

10/5/22

पत्रादली पेमेंट हुई। एकील प्रशि
 उपा। एकील प्रशि की एकतरफा
 बहस सुनी गई। बहस सुनने
 व पत्रादली का निदलेका
 करने पर उस्तुत जाफेजा पत्र
 अन्तर्गत धारा 128 एण्ड ऑफ
 एक्ट को स्वीकार किया जाता
 है। जाफेजा को सम्बन्धित (वतरी)
 अमि रकम नं 516 रकवा 4.1100 रु
 एवं रकम नं 515 रकवा 0.0100 रु
 वाले ग्राम टोडाली परमार हल्का
 पटलेड तहसील आंधी जिला जयपुर
 पर किसी न्यायालय का एपगन
 जाफेजा ना होतो तहसील
 आंधी को निर्देश दिष्ट जाते है
 उक्त अमियों की पत्थरजी मुताबिक
 सीमाज्ञान के अनुसार दोनों पक्षों
 की मौजूदगी में करवा सुनिश्चित
 करें।
 जाफेजा की उति तहसीलदार
 आंधी को पालनार्थ रकम भेजी जाये।
 पत्रादली फेंकल भुगत होकर
 होकर नजर से का हो। वाड
 को साबिल उस्तुत हो।

निर्णय आज दिनांक 10/05/2022
 को सुले न्यायालय जयपुरा भाग 7

10/5/22

नियंत्रण लाल मीर
 उपखण्ड अधिकारी
 जमवारामगढ़